तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **कालूराम बनाम प्रहलाद योगी** **अपील संख्या जीसीएमएस नम्बर 2022 / 11**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
25.01.22	अधिवक्ता अपीलान्ट उपस्थित उनकी बहस एडमिशन पर सुनी गई। बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया जिससे जाहिर होता है कि अपीलान्ट द्वारा हस्तगत अपील तहसीलदार जयपुर के आदेश दिनांक 19.04.2021 की पालना में पटवारी हल्का द्वारा की गई सीमाज्ञान रिपोर्ट दिनांक 09.06.2021 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है जबकि सीमाज्ञान रिपोर्ट के विरूद्ध अपील की सुनवाई का अधिकार न्यायालय हाजा को कानूनन प्रदत्त नही है। ऐसी स्थिति में अपीलान्ट की अपील पर अग्रिम कार्यवाही न्यायालय हाजा के स्तर पर संभव नही है। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलान्ट की अपील की सुनवाई का क्षेत्राधिकार न्यायालय हाजा का प्रदत्त नही होने से हस्तगत अपीलान्ट के अधिवक्ता को सक्षम न्यायालय में प्रस्तुत करने हेतु लौटाई जावें तथा न्यायालय हाजा के स्तर से पत्रावली नम्बर से कम हो। आदेश सुनाया गया। (दिनेश कुमार यादव) संभागीय आयुक्त, जयपुर।	